संख्या : 62/2020/1591/छप्पन-2020-43/2015

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2020

विषयः राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे 90-degree gear box (Tail Gear Box Assy), Qty.01, एक्सचेन्ज के आधार पर क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-235/CADUP/ENG(PUR)/UPL-03/2020 दिनांक 03 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे 90-degree gear box (Tail Gear Box Assy) PART No.109-0440-01-123, SI. No. TUR00349 लगभग 1400 उड़ान घण्टें पूर्ण कर चुका है, तथा इस पर 1600 FH-special inspection ड्यू हो रहा है। उक्त पुर्जे को हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी M/s. Leonardo Malaysia Sdn.Bhd., Malaysia से एक्सचेंज के आधार पर अग्रिम शुल्क भुगतान करते हुए क्रय किये जाने हेतु निर्माता कम्पनी के कोटेशन संख्या-154624 दिनांक 30 जुलाई, 2020 के अनुसार यू0एस0 डॉलर 81159.67 का व्यय निहित है, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से बैंक चार्जस सहित कुल रूपये 63,30,454/- (रूपये तिरसठ लाख तीस हजार चार सौ चौवन मात्र) होता है। इसके अतिरिक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि प्रश्नगत पुर्जे को हेलीकाप्टर में रिप्लेस करने के पश्चात् खराब पुर्जे को वापस निर्माता कम्पनी को भेजने तथा फर्म द्वारा पुर्जे के इन्सपेक्शन / इवाल्यूएशन के उपरान्त अधिकतम यू0एस0 डॉलर 19476.00 कोर वापसी निदेशालय के बचत खाता संख्या- 32690267244 में फर्म द्वारा सीधे क्रेडिट किया जायेगा। इस प्रकार कुल रूपये 63,30,454/- (रूपये तिरसठ लाख तीस हजार चार सौ चौवन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए प्रश्नगत धनराशि को अग्रिम रूप से आहरित किये जाने की स्वीकृति भी दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल राजकीय अगुस्ता A109S, VT-UPL हेलीकाप्टर में लगे 90-degree gear box (Tail Gear Box Assy) PART No.109-0440-01-123, SI. No. TUR00349 को हेलीकाप्टर निर्माता कम्पनी M/s. Leonardo Malaysia Sdn.Bhd., Malaysia से एक्सचेंज के आधार पर अग्रिम शुल्क भुगतान करते हुए क्रय किये जाने हेतु यू0एस0 डॉलर 81159.67, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से बैंक चार्जस सहित कुल रूपये 63,30,454/- (रूपये तिरसठ लाख तीस हजार चार सौ चौवन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत धनराशि के व्यय एवं फर्म को अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान अग्रिम के रूप में निर्माता कम्पनी को वायर ट्रान्सफर के माध्यम से किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

4- निर्माता फर्म को हेलीकॉप्टर से निकाले गये पुर्जे वापस भेजे जाने पर यू0एस0 डालर 19476.00 की वापसी निदेशालय के बचत खाता संख्या- 32690267244 में फर्म द्वारा सीधे क्रेडिट किया जायेगा। इस प्राप्त धनराशि का समायोजन तत्काल कर लिया जाय तथा समायोजन के पश्चात इसकी सूचना शासन को दी जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10-06-2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी।

7- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- उक्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों / नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

11- स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय –ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

13- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा।

15- प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा।

16- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-944/दस-2020, दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

पृ0सं0 : 62/2020/1591(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।। आडिट भवन, टी0सी0-ई0वी-।, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।